भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow

केन्द्रीय भवन, ग्यारहवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : roez.lko-mef@nic.in, goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 : 8बी/यू0पी0/06/25/2018/एफ.सी./67 दिनांक : 24.06.2024

सेवा में,
अति0 मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Road/26451/2017

विषयः कन्नौज में एन0एच0–91 किमी0 269 से 356 तक (नवीगंज से मित्रसेनपुर मार्ग) 04 लेन चौड़ीकरण हेतु प्रभावित 99.328 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 6478 वृक्षों व 24261 पौधों के पातन की अनुमति के सम्बंध मे।

संदर्भः मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक 3166/11–कन्नौज/26451/2017, दिनांक 04.04.2024.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक पी–43/14–2–2018–800(35)/2018, दिनांक 05.03.2018 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रकरण मे इस कार्यालय के सम–संख्यक पत्र दिनांक 31.07.2023 द्वारा कतिपय विन्दुओं पर आवश्यक जानकारी/सूचना मांगी गयी थी, जिसकी अनुपालना उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित की गयी है। प्रेषित अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि बिन्दु संख्या 1, 2, 3 एवं 4 पर लगायी गयी आपत्तियों की पूर्ण अनुपालना अपलोड नहीं की गयी है, जो निम्न प्रकार है:–

1) Revised KML file of Barodadang, Lalitpur District for change CA site is corrupted and it needs to be re-uploaded on PARIVESH portal.
2) Revised Geo-referenced map of above change CA site along with supporting documents needs to be uploaded on PARIVESH Portal.

} ललितपुर

3) As per Google earth imageries agricultural activity (permanent agriculture land) approx. 10 ha has been observed on the proposed CA land area of Sarai Nawar village. This needs to be revised.
4) As per Google Earth imagery of the proposed CA land of Sarai Nawar village, existing transmission line/Towers has been observed. DFO needs to provide details whether approval under FCA, 1980 has been taken or not for existing visible towers on forest land of Sarai Nawar village. The area proposed for CA will further reduce to some extent than the required CA area due to existing towers as well as dwarf species plantation in RoW under the transmission line if the existing towers on forest land is approved under FCA, 1980. Accordingly, required CA area needs to be compensated.

} इटावा

5) The proposed CA site (Gross 32.05 ha) of Khilawan and Pai Forest Block Jaitpura range of Agra District, only 11.00 ha is suitable for plantation, which is lower than the actual required CA land area. This needs to be revised.

} आगरा

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विन्दु पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

भवदीया,
24/06/2024
(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):
1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, कन्नौज वन प्रभाग।
4. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0, अलीगढ़ एवं कन्नौज।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

24/06/2024
(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 44 /11सी– FP/UP/Road/26451/2017 दिनांक, लखनऊ, जुलाई 08,2024

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त विन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, कन्नौज को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करे।

प्रतिलिपि– परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0, अलीगढ़ एवं कन्नौज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रमोद कुमार गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

8/7/24

क्रम संख्या 89
पत्रावली 141
दिनांक 10/7/2024
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल कानपुर

Lt. ST Page No.1737

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, कन्नौज वन प्रभाग, कन्नौज

पत्रांक– 212 /14–1, कन्नौज, दिनांक, 01/08/ ,2024

सेवा में,

1– प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा
2– प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा
3– प्रभागीय वनाधिकारी
ललितपुर वन प्रभाग, ललितपुर

विषयः– जनपद कन्नौज में एन0एच0–91 किमी0 289 से 356 तक (नवीगंज से मित्रसेनपुर मार्ग) 04 लेन चौड़ीकरण हेतु प्रभावित 99.328 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 64782 वृक्षों व 24281 पौधों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– 1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ की पत्र संख्या–44/11सी–FP/UP/Road/26451/2017 दिनांक 08.07.2024।
2– इस कार्यालय का पत्रांक 81/14–1 दिनांक 11.07.2024।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर आपसे अपेक्षा की गयी थी कि विषयक प्रकरण में आपके प्रभाग के अन्तर्गत चयनित की गयी भूमि के सम्बन्ध में उठायी गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचना/अभिलेख यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, किन्तु उक्त संशोधित सूचना/अभिलेख अभी तक इस कार्यालय को अप्राप्त हैं।

अतः सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति पुनः संलग्न कर आपसे अपेक्षा की जाती है कि विषयक प्रकरण में आपके प्रभाग के अन्तर्गत चयनित की गयी भूमि के सम्बन्ध में उठायी गयी बिन्दुववार आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचना/अभिलेख अविलम्ब इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि सूचना/अभिलेख उच्च स्तर को प्रेषित किये जा सके।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय

(डॉ0 हेमन्त कुमार सेठ)
प्रभागीय वनाधिकारी
कन्नौज वन प्रभाग, कन्नौज

पत्रांक 212 /समदिनांकित

प्रतिलिपिः–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, कन्नौज, एन0आर0आई0 सिटी, कटरी ख्योरा, कानपुर–208002 को पुनः इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित प्रभागीय कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर प्रश्नगत प्रकरण में उठायी गयी आपत्तियों का निराकरण करा कर वॉछित सूचना/अभिलेख प्राप्त कर इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(डॉ0 हेमन्त कुमार सेठ)
प्रभागीय वनाधिकारी
कन्नौज वन प्रभाग, कन्नौज

GN Letter Jan-24

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, कन्नौज वन प्रभाग, कन्नौज

पत्रांक– 1830 /14–1, कन्नौज, दिनांक, 30/01/ ,2025

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
आगरा

विषयः– जनपद कन्नौज में एन0एच0–91 किमी0 289 से 356 तक (नवीगंज से मित्रसेनपुर मार्ग) 04 लेन चौड़ीकरण हेतु प्रभावित 99.328 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 64782 वृक्षों व 24281 पौधों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– 1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ की पत्र संख्या–44/11सी–FP/UP/Road/26451/2017 दिनांक 08.07.2024।

2– इस कार्यालय का पत्रांक 81/14–1 दिनांक 11.07.2024, 212/14–1 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक 465/14–1 दिनांक 02.09.2024।

3– मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर का पत्रांक 641/14–1 दिनांक 10.09.2024।

4– आपके कार्यालय का पत्रांक 1170/14–1 दिनांक 26.09.2024।

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे विषयक प्रकरण में आपके प्रभाग के अन्तर्गत चयनित की गयी भूमि के सम्बन्ध में उठायी गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचना/अभिलेख यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। उक्त के कम में आपके कार्यालय के सन्दर्भित पत्र दिनांक 26.09.2024 द्वारा आगरा वन प्रभाग के खिलावली वन ब्लाक भाग–1 व भाग–2 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 20.00 हे0 भूमि चयनित कर के0एम0एल0 फाइल इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी तथा जियो रिफरेन्स मैप व टोपोशीट प्रयोक्ता अभिकरण से तैयार कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

आपके सन्दर्भित पत्र के कम में आगरा वन प्रभाग के खिलावली वन ब्लाक भाग–1 व भाग–2 में चयनित वन भूमि का रिफरेन्स मैप व टोपोशीट तैयार कराकर प्रयोक्ता अभिकरण के प्रतिनिधि के माध्यम से आपके कार्यालय में लगभग 20 दिन पूर्व प्रेषित की गयी थी, जिसे आप द्वारा हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना है। उक्त वॉछित प्रतिहस्ताक्षरित अभिलेख अभी तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुये है, जिसके कारण प्रकरण अभी भी लम्बित है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि विषयक प्रकरण में आपके प्रभाग के अन्तर्गत चयनित की गयी भूमि के रिफरेन्स मैप व टोपोशीट प्रतिहस्ताक्षरित कर अविलम्ब इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि आपत्तियों की निराकरण आख्या/अभिलेख उच्च स्तर को प्रेषित किये जा सके।

भवदीय

(डॉ0 हेमन्त कुमार सेठ)
प्रभागीय वनाधिकारी
कन्नौज वन प्रभाग, कन्नौज

पत्रांक 1830 /समदिनांकित

प्रतिलिपि :– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, 53, बसन्त विहार, नौबस्ता, कानपुर को पुनः इस आशय से प्रेषित कि प्रभागीय कार्यालय आगरा से सम्पर्क स्थापित कर वॉछित प्रतिहस्ताक्षरित अभिलेख प्राप्त कर इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(डॉ0 हेमन्त कुमार सेठ)
प्रभागीय वनाधिकारी
कन्नौज वन प्रभाग, कन्नौज

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, कन्नौज वन प्रभाग, कन्नौज

पत्रांक– 2021 /14–1, कन्नौज, दिनांक, 17/02/2025

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
आगरा

विषयः– जनपद कन्नौज में एन0एच0–91 किमी0 289 से 356 तक (नवीगंज से मित्रसेनपुर मार्ग) 04 लेन चौड़ीकरण हेतु प्रभावित 99.328 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 64782 वृक्षों व 24281 पौधों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :–

1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ की पत्र संख्या–44/11सी–FP/UP/Road/26451/2017 दिनांक 08.07.2024।

2– इस कार्यालय का पत्रांक 81/14–1 दिनांक 11.07.2024, 212/14–1 दिनांक 01.08.2024 एवं पत्रांक 465/14–1 दिनांक 02.09.2024।

3– मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर का पत्रांक 641/14–1 दिनांक 10.09.2024।

4– आपके कार्यालय का पत्रांक 1170/14–1 दिनांक 26.09.2024।

5– इस कार्यालय का पत्रांक 1830/14–1 दिनांक 30.01.2025।

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे विषयक प्रकरण में आपके प्रभाग के अन्तर्गत चयनित की गयी भूमि के सम्बन्ध में उठायी गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचना/अभिलेख यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। उक्त के क्रम में आपके कार्यालय के सन्दर्भित पत्र दिनांक 26.09.2024 द्वारा आगरा वन प्रभाग के खिलावली वन ब्लाक भाग–1 व भाग–2 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 20.00 हे0 भूमि चयनित कर के0एम0एल0 फाइल इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी तथा जियो रिफरेन्स मैप व टोपोशीट प्रयोक्ता अभिकरण से तैयार कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी। उक्त के क्रम में उपरोक्त अभिलेख/जियो रिफरेन्स मैप व टोपोशीट प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण के प्रतिनिधि के माध्यम से आपके कार्यालय में लगभग 01 माह पूर्व में उपलब्ध करा दिये गये थे, जो प्रतिहस्ताक्षरित होकर अभी तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुये हैं।

अतः आपसे पुनः अपेक्षा की जाती है कि विषयक प्रकरण में आपके प्रभाग के अन्तर्गत चयनित की गयी भूमि के जियो रिफरेन्स मैप व टोपोशीट प्रतिहस्ताक्षरित कर अविलम्ब इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में उठायी गयी आपत्तियों की निराकरण आख्या/अभिलेख उच्च स्तर को प्रेषित किये जा सके।

भवदीय

(डॉ0 हेमन्त कुमार सेठ)
प्रभागीय वनाधिकारी
कन्नौज वन प्रभाग, कन्नौज

पत्रांक 2021 /समदिनांकित

प्रतिलिपि :– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, 53, बसन्त विहार, नौबस्ता, कानपुर को पुनः इस आशय से प्रेषित कि प्रभागीय कार्यालय आगरा से सम्पर्क स्थापित कर वॉछित प्रतिहस्ताक्षरित अभिलेख प्राप्त कर इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(डॉ0 हेमन्त कुमार सेठ)
प्रभागीय वनाधिकारी
कन्नौज वन प्रभाग, कन्नौज

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांक 6884/ 14–1 आगरा : दिनांक : मार्च : 03, 2025

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी
कन्नौज वन प्रभाग
कन्नौज।

विषयः जनपद कन्नौज में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–91 किमी0 289 से 356 तक (नवीगंज से मित्रसेनपुर मार्ग) 04 लेन चौडीकरण हेतु प्रभावित 99.328 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 64782 वृक्षों व 24281 पौधों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध मे।

संदर्भ : आपका पत्रांक–2021/14–1 दिनांक 17.02.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इस प्रभाग की 20.0 हे0 आरक्षित वनभूमि (10.0 हे0 खिलावली वन ब्लाक भाग–1 एवं 10.0 हे0 खिलावली वन ब्लाक भाग–2) का चयन कर प्रस्तावित स्थल के जियो रिफ्रेंश मैप, टोपोसीट, इस कार्यालय को प्रयोक्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं जिस पर हस्ताक्षर कर कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है परन्तु वर्तमान तक किसी भी प्रतिनिधि द्वारा हार्ड कापी प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय में सम्पर्क नहीं किया गया है।

अतः आप उक्तानुसार अभिलेखों की हार्ड कॉपी प्राप्त करने हेतु किसी प्रतिनिधि को इस कार्यालय से सम्पर्क करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही कर प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके।

सर्वेयर
पूर्व वना0
18/3/25

भवदीय
A.Kumar

(आदर्श कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई 53, बसन्त विहार नौबस्ता कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आदर्श कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

क्रम संख्या 4254
पत्रावली 6884
दिनांक 18/03/2025

Com-3/Draftman/Letter-23/45

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, कन्नौज वन प्रभाग, कन्नौज

पत्रांक– 2327 /14–1, कन्नौज, दिनांक, 22/03/ ,2025

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, 53,
बसन्त विहार, नौबस्ता, कानपुर

विषयः– जनपद कन्नौज में एन0एच0–91 किमी0 289 से 356 तक (नवीगंज से मित्रसेनपुर मार्ग) 04 लेन चौड़ीकरण हेतु प्रभावित 99.328 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 64782 वृक्षों व 24281 पौधों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– 1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ की पत्र संख्या–44/11सी–FP/UP/Road/26451/2017 दिनांक 08.07.2024।
2– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा का पत्रांक 6884/14–1 दिनांक 03.03.2025।

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा ने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से अवगत कराया है कि विषयक प्रकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आगरा वन प्रभाग के खिलावली वन ब्लाक भाग–1 व भाग–2 में चयनित वन भूमि का जियोरिफरेन्स मैप व टोपोशीट उनके द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिये गये हैं।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने प्रतिनिधि को निर्देशित करें कि वे प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा के कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर वॉछित प्रतिहस्ताक्षरित अभिलेख प्राप्त कर इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि आपत्तियों की निराकरण आख्या/अभिलेख उच्च स्तर को प्रेषित किये जा सके।

(डॉ0 हेमन्त कुमार सेठ)
प्रभागीय वनाधिकारी
कन्नौज वन प्रभाग, कन्नौज

पत्रांक 2327 /समदिनांकित

प्रतिलिपि :– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि वॉछित प्रतिहस्ताक्षरित अभिलेख परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, 53, कानपुर के प्रतिनिधि अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(डॉ0 हेमन्त कुमार सेठ)
प्रभागीय वनाधिकारी
कन्नौज वन प्रभाग, कन्नौज

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांक 6586 / 14–1 आगरा : दिनांक : फरवरी : 07, 2025

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी
कन्नौज वन प्रभाग
कन्नौज।

विषयः कन्नौज में एन0एच0–91 किमी0 289 से 356 तक (नवीगंज से मित्रसेनपुर मार्ग) 04 लेन चौडीकरण हेतु प्रभावित 99.328 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 6478 वृक्षों व 24281 पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ : आपका पत्रांक–1830 / 14–1 दिनांक 30.01.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में इस प्रभाग की प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि के नीचे दिये गये विवरण के अनुसार संशोधित स्थल का जियो रिफरेन्स मैप, एवं टोपोशीट हस्ताक्षर कर संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क0सं0	वनब्लाक का नाम	क्षेत्रफल हे0 में
1	खिलावली वन ब्लाक भाग–1	10.0
2	खिलावली वन ब्लाक भाग–2	10.0

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,
AKum
(आदर्श कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांक / दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ।

वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।

परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कानपुर।

(आदर्श कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

Com-3/Draftman/Letter-22/85

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, कन्नौज वन प्रभाग, कन्नौज

पत्रांक– 999 /14–1, कन्नौज, दिनांक, 09/10/ ,2025

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विषयः– जनपद कन्नौज में एन0एच0–91 किमी0 289 से 356 तक (नवीगंज से मित्रसेनपुर मार्ग) 04 लेन चौड़ीकरण हेतु प्रभावित 99.328 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 64782 वृक्षों व 24281 पौधों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– 1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ की पत्र संख्या–44/11सी–FP/UP/Road/26451/2017 दिनांक 08.07.2024।

2– मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर की पत्र संख्या–146/14–1, कानपुर, दिनांक–16.07.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा ने अपने पत्र संख्या–6586/14–1, द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु खिलावली वन ब्लाक भाग–1 व भाग–2 में चयनित वन भूमि का टोपोसीट, डिजीटल मैप व के0एम0एल0 फाइल उनके द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराये गये है।

अतः विषयक प्रकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा में चयनित की गयी भूमि का टोपोसीट, डिजीटल मैप व के0एम0एल0 फाइल प्रतिहस्ताक्षरित कर 02 प्रतियों (मूल) में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक - यथोपरि।

(डॉ0 हेमन्त कुमार सेठ)
प्रभागीय वनाधिकारी
कन्नौज वन प्रभाग, कन्नौज

पत्रांक 999 /समदिनांकित

प्रतिलिपि :– मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ0 हेमन्त कुमार सेठ)
प्रभागीय वनाधिकारी
कन्नौज वन प्रभाग, कन्नौज

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
परियोजना निदेशक का कार्यालय, परियोजना कार्यान्वयन इकाई – कानपुर
Office of the Project Director, Project Implementation Unit - Kanpur
म.नं. 337-डी, श्याम नगर, कानपुर - 208013 • House No. 337-D, Shyam Nagar, Kanpur - 208013
दूरभाष / Phone : (0512) 2630154 • ई–मेल / e-mail : knp@nhai.org

भा०रा०रा०प्रा० / प०क०ई०–कानपुर / 18011 / 2025 / 2188 दिनांक–29.10.2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
जनपद–कन्नौज।

विषय– Diversion of Protected Forest Land for Rehabilitation and Up-gradation to 4-lane with paved shoulders configuration from Naviganj to Mitrason section (Km 289.000 to Km 356.000)Package-IV section of National Highway-91 in Kannuj District in the State of Uttar Pradesh- वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम–1980 के अन्तर्गत परिवेश 1.0 पोर्टल एवं 2.0 पोर्टल पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के विधिवत स्वीवत स्वीकृत (स्टेज–2) हेतु लम्बित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ–
1. क्षेत्रीय कार्यालय उ०प्र० (पश्चिमी), भा०रा०रा०प्रा० लखनऊ का पत्र सं०–2097 दिनांक–29.10.2025
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक–1304 / 11–सी, लखनऊ दिनांक–28.10.2025
3. प्रभागीय वनाधिकारी, आगरा का पत्रांक–6586 दिनांक–07.02.2025.
4. इस कार्यालय का पत्रांक सं० 2338 दिनांक 27.12.2024.
5. प्रभागीय वनाधिकारी, कन्नौज का पत्रांक–1421 दिनांक–07.12.2024.

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 28.10.2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा यह अवगत कराया गया है कि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत परिवेश 1.0 एवं परिवेश 2.0 पोर्टल पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से सम्बन्धित विधिवत स्वीकृत (स्टेज–2) प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके कार्यालय के पत्र दिनांक 07.12.2024 द्वारा जियो रेफरेंस मैप एवं टोपोशीट तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा पत्रांक 2338 दिनांक 27.12.2024 के माध्यम से आवश्यक प्रलेख आपके कार्यालय को प्रेषित कर दिये गये थे, जिनकी हार्ड कॉपी भी उपलब्ध करा दी गयी थी।

उक्त प्रलेखों पर डी०एफ०ओ० आगरा द्वारा हस्ताक्षर उपरान्त पत्र सं० 6586 दिनांक 07.02.2025 के माध्यम से पुनः आपके कार्यालय को प्रेषित किये गये थे। साथ ही, इस कार्यालय के प्रतिनिधि द्वारा डी०एफ०ओ० आगरा से प्राप्त अभिलेखों की हार्ड कॉपी आपके कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा करा दी गयी थी। इसके पश्चात आपके कार्यालय द्वारा उक्त प्रकरण को पत्र दिनांक 09.10.2025 के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, लखनऊ को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था।

उपरोक्त के क्रम में नोडल अधिकारी द्वारा परिवेश पोर्टल पर EDS Raised किया गया है, जिसमें दर्शाया गया कि **"CF covering letter has not been attached"**.

अतः आपसे अनुरोध है कि परिवेश 1.0 एवं परिवेश 2.0 पोर्टल पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से सम्बन्धित विधिवत स्वीकृत (स्टेज–2) में लम्बित विषयांकित परियोजना में वन संरक्षक स्तर से पत्र निर्गत करवाने हेतु आवश्यक अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

क्रम संख्या 2387
पत्रावली 18011
दिनांक 31-10-2025
कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी

(पंकज यादव)
परियोजना निदेशक

प्रतिलिपिः–
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय कार्यालय उ०प्र० (पश्चिमी), भा०रा०रा०प्रा० लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वन संरक्षक, उ०प्र०, कानपुर नगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

30/10/25

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर

पत्रांक 1507 /14–1 दिनांक, कानपुर, नवम्बर, 07, 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
कन्नौज वन प्रभाग कन्नौज

विषयः– जनपद कन्नौज में एन0एच0–91 किमी0 289 से 356 तक (नवीगंज से मित्रसेनपुर मार्ग) 04 लेन चौड़ीकरण हेतु प्रभावित 99.328 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 64782 वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारेपण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक 1186 / 14–1, स्थाना0 दिनांक 29.10.2025

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रकरण से सम्बन्धित क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा में चयनित की गयी भूमि का टोपोसीट, डिजिटल मैप एवं के0एम0एल0 फाइल संलग्न कर इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

अतः उक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि विषयगत प्रकरण से सम्बन्धित क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा में चयनित की गयी भूमि का टोपोसीट, डिजिटल मैप एवं के0एम0एल0 फाइल की 02 प्रति मूल में इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सर्वेयर → TC

प्र0का0 10/11/25

क्र0 संख्या 2547
पत्रावली 14–1
दिनांक 10-11-2025
कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी
कन्नौज वन प्रभाग कन्नौज

भवदीय

(एन0के0 जानू)
मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल, कानपुर

संशोधित

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, कन्नौज वन प्रभाग, कन्नौज

पत्रांक– 1336 /14–1, कन्नौज, दिनांक, 13/11/ ,2025

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
कानपुर मण्डल, कानपुर

विषयः– जनपद कन्नौज में एन0एच0–91 किमी0 289 से 356 तक (नवीगंज से मित्रसेनपुर मार्ग) 04 लेन चौड़ीकरण हेतु प्रभावित 99.328 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 64782 वृक्षों व 24281 पौधों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– आपके कार्यालय के पत्र संख्या–1507/14–1, कानपुर , दिनांक–07.11.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, आगरा ने अपने पत्र संख्या–6586/14–1, दिनांक–07.02.2025 द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु खिलावली वन ब्लाक भाग–1 व भाग–2 में चयनित वन भूमि का टोपोसीट, डिजीटल मैप व के0एम0एल0 फाइल उनके द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराये गये है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक 999/14–1, कन्नौज, दिनांक–29.10.2025 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ को टोपोसीट, डिजीटल मैप व के0एम0एल0 फाइल प्रतिहस्ताक्षरित कर हार्ड कॉपी प्रेषित की जा चुकी है ।

अतः आपसे निवेदन करना है कि विषयक प्रकरण के निस्तारण हेतु परिवेश पोर्टल पर टोपोसीट, डिजीटल मैप व के0एम0एल0 फाइल अपलोड करने हेतु अपने स्तर से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पत्र निर्गत करने की कृपा करें ।

प्रभागीय वनाधिकारी
कन्नौज वन प्रभाग
कन्नौज

भवदीय

(डॉ0 हेमन्त कुमार सेठ)
प्रभागीय वनाधिकारी
कन्नौज वन प्रभाग, कन्नौज

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर
पत्रांक 1612 /14–1 दिनांक, कानपुर, नवम्बर, 18 2025

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश लखनऊ

विषयः– जनपद कन्नौज में एन0एच0–91 किमी0 289 से 356 तक (नवीगंज से मित्रसेनपुर मार्ग) 04 लेन चौड़ीकरण हेतु प्रभावित 99.328 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 64782 वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– प्रभागीय वनाधिकारी कन्नौज वन प्रभाग कन्नौज का पत्रांक 1336/14–1, दिनांक 14.11.2025

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित द्वारा से प्रभागीय वनाधिकारी कन्नौज वन प्रभाग कन्नौज ने अवगत कराया गया है कि प्रभागीय कार्यालय कन्नौज के पत्रांक 999/14–1 दिनांक 29.10.2025 से विषयगत प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में आपको क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा में चयनित की गयी भूमि का टोपोसीट, डिजिटल मैप एवं के0एम0एल0 फाइल की हार्ड कापी प्रेषित की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण के निस्तारण किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

(एन0के0 जानू)
मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल, कानपुर

संख्याः अ/ समदिनांकित

प्रतिलिपिः–प्रभागीय वनाधिकारी, कन्नौज वन प्रभाग कन्नौज को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एन0के0 जानू)
मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल, कानपुर

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
परियोजना निदेशक का कार्यालय, परियोजना कार्यान्वयन इकाई
Office of the Project Director, Project Implementation Unit
53, बसंत विहार, नौबस्ता, कानपुर - 208021 • 53, Basant Vihar, Naubasta, Kanpur - 208021
दूरभाष / Phone: (0512)2630154/2630214 • ई–मेल / e-mail: knp@nhai.org

एन0एच0ए0आई0/17017/2024/6–लेन/कानपुर/769 दिनांक– 08 July 2024

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग कानपुर,
जनपद–कन्नौज
E-mail: dfokannauj@gmail.com

विषय– कन्नौज में एन0एच0 91 किमी 289.00 से 356.00 तक (नवींगंज से मित्रसेनपुर) 04 लेन चौड़करण हेतु प्रभावित 99.328 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 6478 वृक्षों व 24281 पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र सं0 8बी/यू0पी0/06/25/2018/एफ0सी0/67 दिनांक–24.06.2024.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्र दिनांक–24.06.2024 द्वारा विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन), अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकारी की स्वीकृति मांगी गयी थी, जिसमें बिन्दु सं0 1, 2, 3 व 4 पर लगायी गयी आपत्तियों की पूर्ण अनुपालना अपलोड नहीं की गयी है। कतिपय निम्नवत बिन्दु सं0 1, 2, 3 व 4 पर आवश्यक जानकारी/सूचना मांगी गयी है।

1. Revised KML file of Barodadang, Lalitpur District for change CA site is corrupted and it needs to be re-uploaded on PARIVESH portal.
2. Revised Geo-referenced map of above change CA site along with supporting documents needs to be uploaded on PARIVESH Portal.
3. As per Google earth imageries agricultural activity (permanent agriculture land) approx. 10 ha has been observed on the proposed CA land area of Sarai Nawar village. This needs to be revised.
4. As per Google Earth imagery of the proposed CA land of Sarai Nawar village, existing transmission line/Towers has been observed. DFO needs to provide details whether approval under FCA, 1980 has been taken or not for existing visible towers on forest land of Sarai Nawar village. The area proposed for CA will further reduce to some extent than the required CA area due to existing towers as well as dwarf species plantation in RoW under the transmission line if the existing towers on forest land is approved under FCA, 1980. Accordingly, required CA area needs to be compensated.

अत: आपसे अनुरोध है कि उक्त का संज्ञान लेते हुए विषयांकित प्रकरण में बिन्दु सं0 1, 2, 3 व 4 पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करते हुए उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

Aman Rohilla 08/7/24
(अमन रोहिल्ला)
परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि– 1– क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 (पश्चिमी) लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– डी0पी0आर0 मे0 साई कन्सल्टिंग इंजीनियर्स प्रा0लि0 को समन्वय एवं सूचनार्थ प्रेषित।

Scanned with OKEN Scanner

भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow

केन्द्रीय भवन, ग्यारहवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : rocz.lko-mef@nic.in, goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 : 8बी/यू0पी0/06/26/2018/एफ.सी./67 दिनांक : 24.06.2024

सेवा में,

अति0 मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।.

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Road/26451/2017

विषयः कन्नौज में एन0एच0–91 किमी0 289 से 356 तक (नवीगंज से मित्रसेनपुर मार्ग) 04 लेन चौड़ीकरण हेतु प्रभावित 99.328 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 6478 वृक्षों व 24281 पौधों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

संदर्भः मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक 3166/11–कन्नौज/26451/2017, दिनांक 04.04.2024.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक पी–43/14–2–2018–800(35)/2018, दिनांक 05.03.2018 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रकरण में इस कार्यालय के सम–संख्यक पत्र दिनांक 31.07.2023 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर आवश्यक जानकारी/सूचना मांगी गयी थी, जिसकी अनुपालना उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित की गयी है। प्रेषित अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि बिन्दु संख्या 1, 2, 3 एवं 4 पर लगायी गयी आपत्तियों की पूर्ण अनुपालना अपलोड नहीं की गयी है, जो निम्न प्रकार हैः–

1) Revised KML file of Barodadang, Lalitpur District for change CA site is corrupted and it needs to be re-uploaded on PARIVESH portal.
2) Revised Geo-referenced map of above change CA site along with supporting documents needs to be uploaded on PARIVESH Portal.
3) As per Google earth imageries agricultural activity (permanent agriculture land) approx. 10 ha has been observed on the proposed CA land area of Sarai Nawar village. This needs to be revised.
4) As per Google Earth imagery of the proposed CA land of Sarai Nawar village, existing transmission line/ Towers has been observed. DFO needs to provide details whether approval under FCA, 1980 has been taken or not for existing visible towers on forest land of Sarai Nawar village. The area proposed for CA will further reduce to some extent than the required CA area due to existing towers as well as dwarf species plantation in RoW under the transmission line if the existing towers on forest land is approved under FCA, 1980. Accordingly, required CA area needs to be compensated.
5) The proposed CA site (Gross 32.05 ha) of Khilawan and Pai Forest Block Jaitpura range of Agra District, only 11.00 ha is suitable for plantation, which is lower than the actual required CA land area. This needs to be revised.

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दु पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

भवदीया,

24/06/2024
(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, कन्नौज वन प्रभाग।
4. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0, अलीगढ़ एवं कन्नौज।
5. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

24/06/2024
(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
परियोजना निदेशक का कार्यालय, परियोजना कार्यान्वयन इकाई
Office of the Project Director, Project Implementation Unit
53, बसंत विहार, नौबस्ता, कानपुर - 208021 • 53, Basant Vihar, Naubasta, Kanpur - 208021
दूरभाष / Phone: (0512) 2630154/2630214 • ई–मेल / e-mail: knp@nhai.org

NHAI/17017/PIU/KNP/Forest/2338 **Date: 27 December, 2024**

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
कन्नौज वन प्रभाग वन प्रभाग,
कन्नौज।

विषयः वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 एवं वन संरक्षण एवं संवर्धन नियम, 2023 के अन्तर्गत वन प्रस्तावों की समीक्षा बैठक के संबंध में।

संदर्भः 1. कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा का पत्रांक 1170 दिनांक 26.09.2024।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय–पश्चिम (उ.प्र.), लखनऊ का पत्रांक 25264 दिनांक 19.12.2024।

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र 1 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया है कि संशोधित स्थल का जियो रिफरेन्स मैप, टोपोशीट एवं के.एम.एल. फाइल उपलब्ध कराने हेतु आपके स्तर से कार्यवाही वांछित की गई है, जिसका विवरण निम्नवत है:–

क्र0सं0	वन ब्लाक का नाम	क्षेत्रफल हे0 में
1.	खिलावली वन ब्लाक भाग–1	10.0
2.	खिलावली वन ब्लाक भाग–2	10.0

अतः टोपोशीट, जियो रिफरेन्स मैप एवं के.एम.एल. फाइल संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि आप अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमन रोहिल्ला 27/12/24

(अमन रोहिल्ला)
परियोजना निदेशक

संलग्नकः जियो रिफरेन्स मैप, टोपोशीट एवं के.एम.एल. फाइल।

प्रतिलिपिः श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय–पश्चिम (उ.प्र.), भा0रा0रा0प्रा0, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

— –

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांक 1170 / 14–1 आगरा : दिनांक : सितम्बर : 26, 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
कन्नौज वन प्रभाग
कन्नौज।

विषय: कन्नौज में एन0एच0–91 किमी0 289 से 356 तक (नवीगंज से मित्रसेनपुर मार्ग) 04 लेन चौडीकरण हेतु प्रभावित 99.328 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 6478 वृक्षों व 24281 पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ : भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/25/2018/एफ.सी./67 दिनांक 24.06.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में सानुरोध अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में इस कार्यालय के पत्रांक–5273/14–1 दिनांक 06.05.2024 द्वारा आगरा प्रभाग के अन्तर्गत जैतपुर रेंज के खिलावली वन ब्लाक में 10.0 हे0 एवं पई बन ब्लाक में 5.0 हे0 क्षेत्र का डी.एस.एस. एनालेसिस रिपोर्ट के साथ क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि का चयन किया गया है जिसकी टोपोसीट, डिजीटल मैप एव के.एम.एल. फाइल तथा भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र आपको प्रेषित किया जा चुका है। उक्त 15.0 हे0 भूमि पर वृक्षारोपण किया जा सकता है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में यदि प्रस्तावित उक्त स्थलों पर किसी कारणवश वृक्षारोपण नहीं किया जा सकता है तो चयनित क्षेत्रों को संशोधित कर निम्न प्रकार वृक्षारोपण किया जा सकता है जिसका पौलीगॉन संलग्न है।

अतः प्रयोक्ता अभिकरण से उक्तानुसार संशोधित स्थल का जियो रिफरेन्स मैप, टोपोशीट एवं के0एम0एल0 फाइल उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से सूचित करने की कृपा करें।

क0सं0	वनब्लाक का नाम	क्षेत्रफल हे0 में
1	खिलावलीवनब्लाक भाग–1	10.0
2	खिलावलीवनब्लाक भाग–2	10.0

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय
(आदर्श कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांक / दिनांकित

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रतिलिपि परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीआईयू अलीगढ़ एवं कन्नौज को उक्तानुसार सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. प्रतिलिपि उप प्रभागीय वनाधिकारी फतेहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित।
5. प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी जैंतपुर को सूचनार्थ एवं उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आदर्श कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)
क्षेत्रीय कार्यालय-पश्चिमं उ0प्र0, लखनऊ Regional Office - West UP, Lucknow.
3/248, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उ.प्र.)
3/248, Vishal Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (UP)
दूरभाष / Phone : 0522-4960291, टेलीफैक्स / Fax : 0522-4950680
ई-मेल / E-mail : rowestup@nhai.org, rowestup@gmail.com

सत्यमेव जयते

भा रा रा प्रा
NHAI

19001/1/RO-W-UP/Forest/25264

दिनांक 19.12.2024

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षण/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 एवं वन संरक्षण एवं संवर्धन नियम, 2023 के अन्तर्गत वन प्रस्तावों की समीक्षा बैठक के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के संबंध में निवेदन करना है कि इस कार्यालय के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न वन प्रस्तावों (स्टेज–1 व स्टेज–2) के निस्तारण हेतु दिनांक 20.12.2024 से 24.12.2024 की अवधि में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आहूत किया जाना उचित होगा।

उक्त के संबंध में आपको समस्त वन प्रस्तावो की सूची स्टेज–1 (अनुलग्नक–अ) एवं स्टेज–2 (अनुलग्नक–ब) आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु एजेण्डा के रूप में प्रेषित की जा रही है।

अतएव आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त प्रस्तावित बैठक की तिथि एवं समय निर्धारित करते हुए समस्त संबंधित वनाधिकारियों को सुसंगत अभिलेखों सहित बैठक में भाग लेने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव कुमार शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी–(पश्चिमी), उ0प्र0

प्रतिलिपि :–
संबंधित सभी परियोजना निदेशको को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तिथि एवं समय निर्धारित होते ही आपको तदानुसार अवगत कराया जाएगा। कृपया उक्त बैठक में सुसंगत अभिलेखों सहित भाग लेना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

Letter / received through Email:
Sl. No. 1884
Date 19/12/24
PD-PIU, Kanpur
DGM(T)/Mgr.(T)
DM(T)/SE/DLO
P.S./Steno/Acctt.
OA-I/OA-II
CO-I/CO-II
NHAI, PIU, Kanpur

DIGITAL MAP SHOWING PROPOSED COMPENSATORY AFFORESTATION LAND IDENTIFIED IN VAN BLOCK IN KHILAWALI FOREST DIVISION FOR COMPENSATORY AFFORESTATION FOR 'DIVERSION OF PROTECTED FOREST LAND FOR REHABILITATION AND UP-GRADATION TO 4-LANE WITH PAVED SHOULDERS CONFIGURATION FROM NAVI GANJ TO MITRASEN SECTION (KM 289.000 TO KM 356.000) PACKAGE-IV SECTION OF NATIONAL HIGHWAY-91 IN KANNAUJ DISTRICTS IN THE STATE OF UTTAR PRADESH'

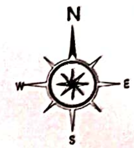

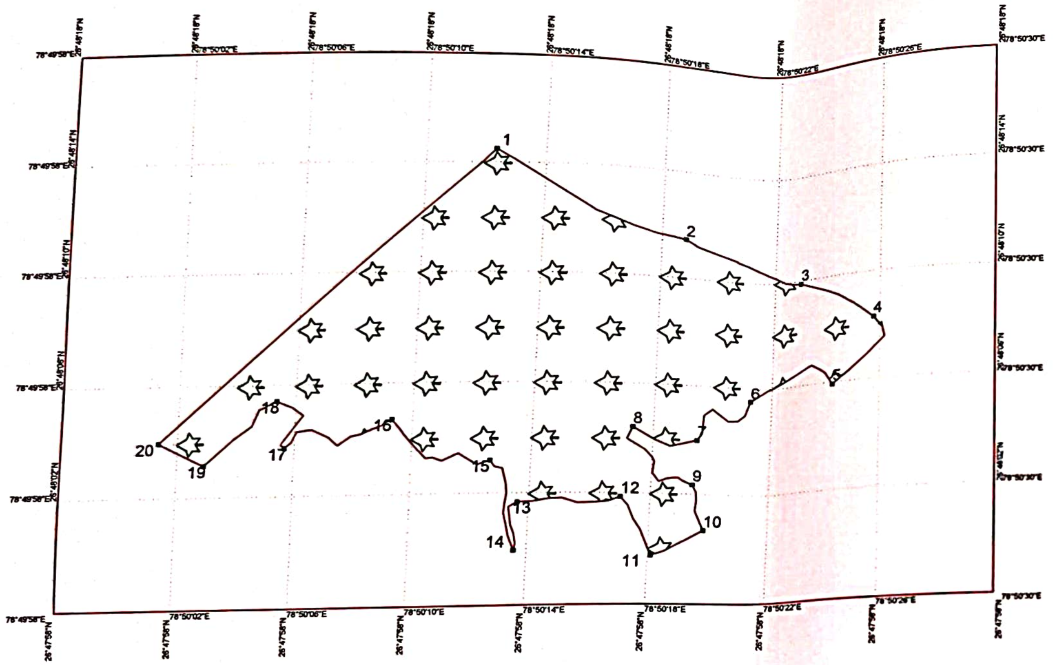

Point Name	Location	
	Latitude	Longitude
1	26°48'8.0190"N	78°50'10.8660"E
2	26°48'5.6470"N	78°50'16.7760"E
3	26°48'4.4330"N	78°50'20.5600"E
4	26°48'3.1680"N	78°50'23.1210"E
5	26°48'1.2270"N	78°50'21.8370"E
6	26°48'0.8530"N	78°50'19.0830"E
7	26°47'59.5860"N	78°50'17.4850"E
8	26°47'59.8970"N	78°50'15.5230"E
9	26°47'58.2560"N	78°50'17.4270"E
10	26°47'56.9160"N	78°50'17.8490"E
11	26°47'56.1390"N	78°50'16.3130"E
12	26°47'57.8290"N	78°50'15.2900"E
13	26°47'57.6280"N	78°50'12.2340"E
14	26°47'56.2320"N	78°50'12.2160"E
15	26°47'58.8360"N	78°50'11.3280"E
16	26°48'0.0180"N	78°50'8.2690"E
17	26°47'59.1840"N	78°50'4.9910"E
18	26°48'0.5520"N	78°50'4.6760"E
19	26°47'58.6720"N	78°50'2.5250"E
20	26°47'59.3190"N	78°50'1.0850"E

Legend

Compensatory Afforestation Location

Location		Area
Khilawali-1	=	10.00 hectare

Forest Block - Khilawali, Range- Jaitpur ,Kannauj

Scale

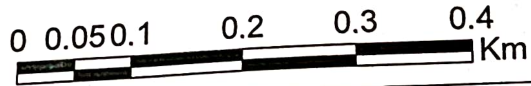

DIGITAL MAP SHOWING PROPOSED AFFORESTATION LAND IDENTIFIED IN VAN BLOCK IN KHILAWALI FOREST DIVISION FOR COMPENSATORY AFFORESTATION FOR 'DIVERSION OF PROTECTED FOREST LAND FOR REHABILITATION AND UP-GRADATION TO 4-LANE WITH PAVED SHOULDERS CONFIGURATION FROM NAVI GANJ TO MITRASEN SECTION (KM 289.000 TO KM 356.000) PACKAGE-IV SECTION OF NATIONAL HIGHWAY-91 IN KANNAUJ DISTRICTS IN THE STATE OF UTTAR PRADESH'

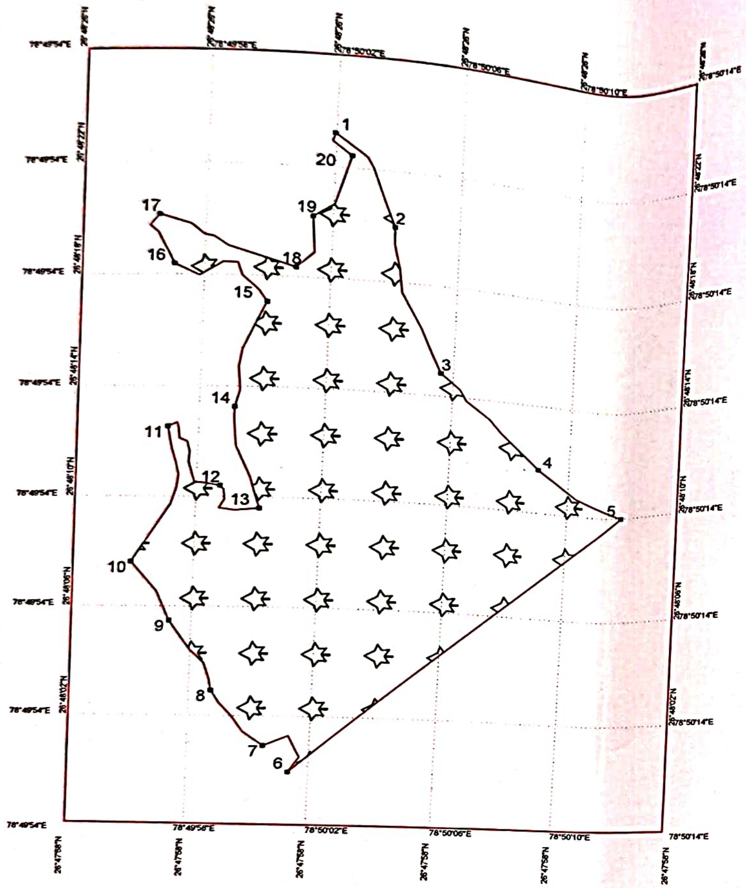

Point Name	Location	
	Latitude	Longitude
1	26°48'18.2120"N	78°50'1.2740"E
2	26°48'15.6220"N	78°50'3.1280"E
3	26°48'11.4580"N	78°50'4.7050"E
4	26°48'8.8940"N	78°50'7.7830"E
5	26°48'7.6050"N	78°50'10.4440"E
6	26°47'59.3190"N	78°50'1.0850"E
7	26°48'0.0860"N	78°50'0.3090"E
8	26°48'1.6930"N	78°49'58.6700"E
9	26°48'3.7390"N	78°49'57.3100"E
10	26°48'5.4590"N	78°49'56.0760"E
11	26°48'9.4680"N	78°49'56.9600"E
12	26°48'7.7660"N	78°49'58.5890"E
13	26°48'7.1290"N	78°49'59.7690"E
14	26°48'10.0900"N	78°49'58.8860"E
15	26°48'13.2010"N	78°49'59.6300"E
16	26°48'14.2200"N	78°49'56.9200"E
17	26°48'15.6410"N	78°49'56.3810"E
18	26°48'14.2440"N	78°50'0.3950"E
19	26°48'15.7630"N	78°50'0.78600"E
20	26°48'17.5890"N	78°50'1.7840"E

Legend

Compensatory Afforestation Location

Location		Area
Khilawali-2	=	10.00 hectare

Forest Block - Khilawali, Range- Jaitpur ,Kannauj

Scale

0 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 Km

SOI TOPO SHEET SHOWING PROPOSED COMPENSATORY AFFORESTATION LAND IDENTIFIED IN PAI VAN BLOCK IN KHILAWALI FOREST DIVISION FOR COMPENSATORY
FOR 'DIVERSION OF PROTECTED FOREST LAND FOR REHABILITATION AND UP-GRADATION TO 4-LANE WITH PAVED SHOULDERS CONFIGURATION FROM NAVI GANJ TO
SECTION (KM 289.000 TO KM 356.000) PACKAGE-IV SECTION OF NATIONAL HIGHWAY-91 IN KANNAUJ DISTRICTS IN THE STATE OF UTTAR PRADESH

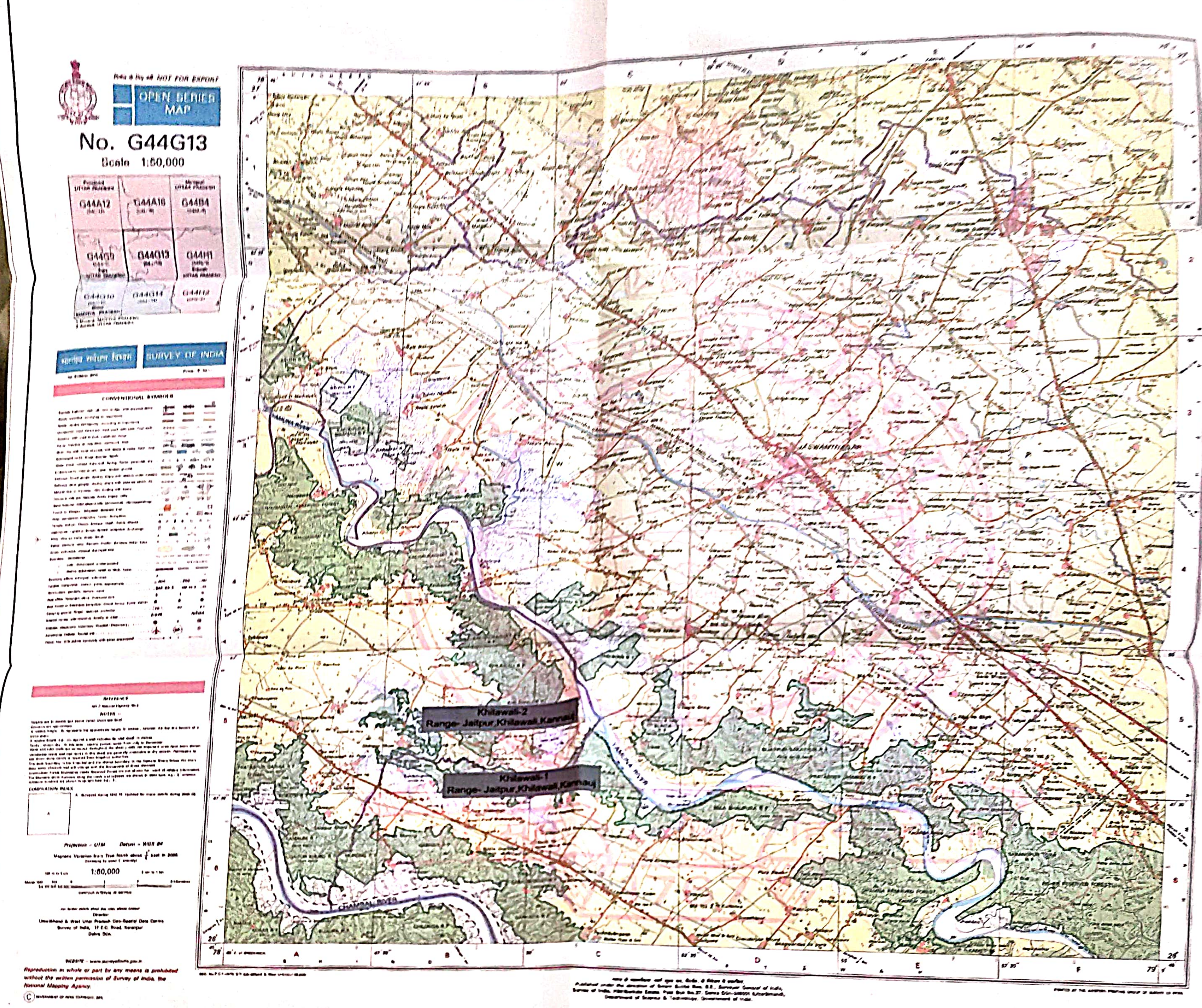

Legend

Compensatory Afforestation Location

Location		Area
Khilawali-1	=	10.00 hectare
Khilawali-2	=	10.00 hectare

Forest Block - Khilawali, Range- Jaitpur ,Kannauj